

डीजीबीए.जीएडी.एच-2529/31.12.010(सी)/2012-13 दिनांक 31 अक्टूबर 2012 का अनुलग्नक

_____को समाप्त तिमाही के लिए एजेंसी कमीशन का दावा

भाग I – बैंक का ब्यौरा				
बैंक का नाम	:			
दावा प्रस्तुत करने वाले कार्यालय का पता	:			
सरकारी विभाग का नाम	:			
जिसके लिए मान्यता प्राप्त (अक्रेडिटेड) है।				
की गई गतिविधियां	:			
भाग II – दावों के विवरण				
विवरण	लेनदेनों की संख्या		राशि ₹ में	
	भौतिक रूप में	इलेक्ट्रॉनिक	भौतिक रूप में	इलेक्ट्रॉनिक
1. सकल प्राप्तियां				
2. घटाएं				
(a) बैंक की स्वयं की कर देयताओं से संबंधित प्राप्तियां **				
(b) आयकर अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न मदों पर टीडीएस				
(c) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004(एससीएसएस 2004) को छोड़कर केंद्रीय / राज्य सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए तैयार की गई योजनाओं / विशेष योजनाओं, यदि कोई हो, के अंतर्गत लेनदेन				
(d) एरर स्करोल - लेनदेन				

(e) अन्य अपात्र मदें (जैसे राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय संस्थाओं / बैंकों से लिए गए दीर्घावधि उधारों की चुकौती संबंधी प्राप्तियाँ, मंत्रालयों/विभागों के लेनदेन से संबंधित साखपत्र संबंधी प्राप्तियाँ, पेंशन की प्राप्तियाँ) (मदवार विवरण प्रस्तुत किए जाएं)				
I.क निवल प्राप्तियाँ				
II. पेंशन को छोड़कर अन्य भुगतान घटाएं				
(अ) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 (एससीएसएस 2004) को छोड़कर केंद्र/राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए तैयार की गई योजनाओं / विशेष योजनाओं से संबंधित भुगतान				
(आ) एरर स्करोल - लेनदेन				
(इ) अन्य अपात्र मदें (जैसे साखपत्र संबंधी लेनदेन के अंतर्गत भुगतान) (मदवार विवरण प्रस्तुत किए जाएं)				
II.क पेंशन को छोड़कर निवल भुगतान				
III. कुल पेंशन भुगतान घटाएं				
(अ) केंद्रीय / राज्य सरकार कर्मचारियों को छोड़कर अन्य लोगों के पेंशन संबंधी भुगतान				
(आ) एरर स्करोल - लेनदेन				
III.क निवल पेंशन भुगतान				
IV. कुल (Iक+IIक+IIIक)				

V. (i) तिमाही के प्रारंभ में पेंशन खातों की संख्या			
(ii) तिमाही के अंत में पेंशन खातों की संख्या			

** एजेंसी बैंक जब अपनी खुद की कर देयता का भुगतान, उस स्थान पर जहाँ उनकी स्वयं की प्राधिकृत प्रत्यक्ष कर संग्रहण शाखा नहीं है, अपनी स्वयं की शाखाओं या भारतीय स्टेट बैंक की प्राधिकृत शाखा या भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय के माध्यम से करते हैं तो इसे स्कॉल में अलग से दर्शाया जाए और ऐसे लेनदेन एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए पात्र नहीं होंगे।

एजेंसी कमीशन की दावा की गई राशि :

₹ :

भौतिक रूप में प्राप्तियाँ ₹ 50/- प्रति लेनदेन की दर पर

अर्थात्X..... =

ई-प्राप्तियाँ ₹ 12/- प्रति लेनदेन की दर पर

अर्थात्X..... =

पेंशन भुगतान ₹ 65 /- प्रति लेनदेन की दर पर

अर्थात्X..... =

पेंशन को छोड़कर अन्य भुगतान प्रति ₹ 100 के आवर्त(टर्नओवर) पर 5.5 पैसे की दर पर

अर्थात्X..... =

कुल दावा =

(₹.....)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम :

शाखा के अधिकारी के द्वारा प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एजेंसी कमीशन के रूप में दावा की गई राशि रूप _____ का आकलन 'प्राप्तियों' और 'पेंशन भुगतान' के लेनदेन की संख्या और 'पेंशन को छोड़कर अन्य भुगतान' की लेनदेन की राशि की गणना सही ढंग से की गई है और यह राशि केंद्र/ राज्य सरकारों /आरबीआई के लेखांकन प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए गए दैनिक स्कॉल और शाखा में उपलब्ध अन्य अभिलेखों के अनुसार है तथा इस राशि की गणना में "एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार का संचालन - एजेंसी कमीशन का भुगतान संबंधी मास्टर परिपत्र" में निर्दिष्ट पात्र मदों को ही शामिल किया गया है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि प्राप्ति लेनदेन जिनपर एजेंसी कमीशन का दावा किया गया है, में बैंक की स्वयं की कर देयताओं और आयकर अधिनियम की विभिन्न मदों के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती के लेनदेन शामिल नहीं किए गए हैं।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम तथा बैंक की मुहर

सनदी लेखाकार के द्वारा प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हमने शाखा द्वारा किए गए सरकारी लेनदेन से संबंधित अभिलेखों का सत्यापन किया है और एजेंसी कमीशन के रूप में दावा की गई राशि रूप _____ (रूप _____) की गणना 'प्राप्तियों' और 'पेंशन भुगतान' के लेनदेन की संख्या और 'पेंशन को छोड़कर अन्य भुगतान' की लेनदेन की राशि की गणना सही ढंग से की गई है और यह राशि केंद्र/ राज्य सरकारों /आरबीआई के लेखांकन प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए गए दैनिक स्कॉल में रिकार्ड किए अनुसार तथा शाखा में उपलब्ध अन्य अभिलेखों के अनुसार है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस एजेंसी कमीशन की गणना में आरबीआई के वर्तमान प्रभावी निर्देशों के अनुसार पात्र लेनदेनों को ही शामिल किया गया है और प्राप्ति लेनदेन में बैंक की स्वयं की कर देयताओं और आयकर अधिनियम की विभिन्न मदों के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती के लेनदेन शामिल नहीं किए गए हैं।

सनदी लेखाकार के हस्ताक्षर, नाम,पंजीकरण संख्या और पता